खण्ड-4

संख्या-3

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

शुक्रवार, तिथि 22 फरवरी, 1991 ई०

(भाग-1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा सदन में शुक्रवार, तिथि 22 फरवरी, 1991 ई० को पूर्वाह्न 11.00 बजे अध्यक्ष **श्री गुलाम सरवर** के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

पटना
तिथि 22 फरवरी, 1991 ई०

चन्द्रशेखर शर्मा
सचिव
बिहार विधान-सभा

श्री सिन्हा का स्थानान्तरण

द-12. श्री कृष्ण वल्लभ प्रसाद : क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत इसलामपुर थाना के रेफरल अस्पताल में डा० वीरेन्द्र प्रसाद सिन्हा लगभग 5 वर्षो से कार्यरत हैं;

(2) क्या यह बात सही ह कि डा० वीरेन्द्र प्रसाद सिन्हा का अपना मकान रानीपुर विशुनपुर गांव में है जो इसलामपुर थाना के अन्तर्गत पड़ता है;

(3) क्या यह बात सही है कि कोई सरकारी पदाधिकारी गृह प्रखंड में या अपने पद पर एक ही स्थान में तीन वर्ष से अधिक नहीं रह सकता है, यदि हाँ, तो सरकारी नियमानुसार सरकार कबतक श्री सिन्हा का स्थानान्तरण करने का विचार रखती है?

प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग : (1) उत्तर स्वीकारात्मक है। डा० वीरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, चिकित्सा पदाधिकारी रेफरल अस्पताल, इसलामपुर में नहीं, बल्कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इसलामपुर, नालन्दा में पदस्थापित हैं।

(2) डा० वीरेन्द्र प्रसाद सिन्हा का गृह जिला नालन्दा है।

(3) डा० वीरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, चिकित्सा पदाधिकारी का स्थानान्तरण स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या 1067 (2), दिनांक 6 जून 1990 के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इसलामपुर नालन्दा से अतिरिक्त प्रा० स्वा० केन्द्र, मुरगांव, जहानाबाद में चिकित्सा पदाधिकारी के रिक्त पद पर कर दिया गया है।